

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय प्रविधि मैनुअल के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। दिव्यांभगजन सशक्तिकरण विभागभारत सरकार द्वारा जारी अन्य संगत नियमों / दिशानिर्देशों (उदाहरण के लिए: जीएफआर , डीएफपीआर, एफआर एंड एसआर आदि) का अनुपालन भी किया जाता है।

प्रस्तुयति और पर्यवेक्षण का प्रणाली :

सहायक अनुभाग अधिकारी (डीलिंग हैंड) - अनुभाग अधिकारी - अवर सचिव-निदेशक / उप सचिव-संयुक्त सचिव / उप महानिदेशक- सचिव - मंत्री